



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 29.09.2024

**थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 467/24 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.09.2024 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री अपने कॉलेज के ही अध्यापक रघुवीर निवासी मौ0 पंजाबी धर्मशाला के सामने कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर से ट्यूशन पढ़ती है । दिनांक 27.09.2024 को वादी की पुत्री ट्यूशन पढ़ने के लिए गयी थी, इसी दौरान वादी की पुत्री के साथ रघुवीर सिंह ने छेड़छाड़ की है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 467/24 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम रघुवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त रघुवीर पुत्र श्री राम सिंह निवासी मौ0 पंजाबी कालोनी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रघुवीर पुत्र श्री राम सिंह निवासी मौ0 पंजाबी कॉलोनी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1.उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 310 बब्लू कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 29.09.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.रजत कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.सुरेन्द्र पुत्र जुम्नलाल नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.रजत कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.सुरेन्द्र पुत्र जुम्नलाल नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 विरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मुख्य आरक्षी राजदीवाकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 1938 नवीन भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 29.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 892/24 धारा 115(2)/109(1)/352/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन व 04 जिंदा कारतूस बरामद किये गये।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2024 को वादी मोनू पुत्र श्री किरनपाल निवासी ग्राम तिमरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 17.09.20254 को अभियुक्तगण 1.सूरज व 2.कुनाल पुत्रगण शेर सिंह निवासीगण ग्राम तिमरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर आदि कुल 04 नफर द्वारा वादी के भाई सोनू के साथ गाली गलौ करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 892/24 धारा 115(2)/109(1)/352 बीएनएस बनाम सूरज आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुनाल पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम तिमरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया एवं साथी बाल अपचारी को घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन व 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.कुनाल पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम तिमरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

बरामदगी –

प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 मैगजीन व 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर



बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 892/2024 धारा 115(2)/109(1)/352/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 381/2024 धारा 9 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 469/2024 धारा 307/323/34/452/504 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1410 रवि अन्तिल थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1566 निखिल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक- 29.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त साहिल उर्फ प्रिंस पुत्र शमशाद उस्मानी नि० मौ० राकिब नगर कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 517/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

साहिल उर्फ प्रिंस पुत्र शमशाद उस्मानी नि० मौ० राकिब नगर कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास साहिल उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०सं० 517/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 947/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 867/23 धारा 379/411 भादवि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.का० 585 सौरभ पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.का० 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना

दिनांक 29.09.2024

थाना नगीना पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण
1.अफजल 2. बिलाल व 3. इकबाल पुत्रगण
गुलजार निवासीगण गढ़ मौहल्ला काजी सराय
प्रथम थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार
किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.अफजल इकबाल पुत्र गुलजार निवासी गढ़ मौहल्ला काजी सराय प्रथम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.बिलाल इकबाल पुत्र गुलजार निवासी गढ़ मौहल्ला काजी सराय प्रथम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.इकबाल पुत्र गुलजार निवासी गढ़ मौहल्ला काजी सराय प्रथम थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.का01739 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.का01101 कोशलेन्द्र प्रताप सिंह थाना नगीना बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना चांदपुर

दिनांक 29.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 513/24 धारा 115(2)/110 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2024 को वादी श्री इमरान अहमद पुत्र शरफुल हक निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जाहिद पुत्र रफीक अहमद 2.नदीम पुत्र सइदुद्दीन 3.भूरा पुत्र मैराज निवासीगण मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी के भाई सरफराज व शाहनावाज पुत्रगण शरफुल हक के साथ लाठी डण्डे से मारपीट की। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 513/24 धारा 115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 29.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.जाहिद पुत्र रफीक अहमद 2.नदीम पुत्र सइदुद्दीन 3.अरशद उर्फ भूरा पुत्र मैराज निवासीगण मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.जाहिद पुत्र रफीक अहमद निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.नदीम पुत्र सइदुद्दीन निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.अरशद उर्फ भूरा पुत्र मैराज निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 585 सौरभ कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 29.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फराज पुत्र अथर नि0 मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर 516/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

फराज पुत्र अथर नि0 मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध तमन्चा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2070 मोहित थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. का0 1154 चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर